प्रपत्र 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान के 03- चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि –

श्री राहुल कस्वां ग्राम पोस्ट- कालरी, तहसील- राजगढ़, जिला- चूरू (राजस्थान) 331301 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - चूरू

तारीख 04.06.2024

(पुष्प) सत्यानी) रिटर्निंग ऑफिसर 03- चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू, राज.)

03-चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the 3-CHURU parliamentary constituency in Rajasthan (State/Union territory).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

RAHUL KASWAN (Name)

Vpo- Kalari, Tehsil- Rajgarh, Distt. (raj.) 331301, Churu, Rajasthan (Address) [sponsored by Indian National Congress (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:

Date: 04-06-2024

(Pushpa Satyani) Returning Officer 03 CHURUParliamentary

Constituency (Pushpa Satyani) Returning Officer 03-Churu, Parliamentary Constituency (District Collector & District Magistrate, Charu)